12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ARREST OF FOREIGN CAMERAMEN

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH (Phulpur): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"The reported arrest of two foreign TV cameramen at Bombay airport in connection with the immolation of an Anand Margi Avadhoot."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT): Sir, according to information available, a case has been registered at Police Station Tilak Marg regarding the death by burning of a person believed to be one Dhaneshvranand Avadhoot at Purana Qila in the evening of 24th April, 1973. The case is under investigation by the Crime Branch of Delhi Police. Five persons have been arrested so far in connection with the case. Of these, Shri Surendra Mohan Lal, an Indian national who is reported to be a Cameraman and Miss Patricia Duregne, a French national, a Sound Technician by profession, were arrested at Bombay on the 24th Night and have been brought back to Delhi. All the arrested persons have been remanded to police custody until the 30th April, 1973 by a court of competent jurisdiction. The investigations are in progress.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: There are three intriguing aspects of this bizarre incident, and I would like Government's clarifications thereon. First is the reported medical report which says that the deceased Avadhoot was alive, and not dead, when his body was engulfed in flames. But the report also goes on to say that one of the causes of death was toxaemia, that is, poisoning of the blood. Will the hon. Minister clarify whether the possibility of the deceased Avadhoot being under the influence of a drug or being in a semi-conscious or un-conscious state at the time of death can be ruled out by this medical report?

Secondly, I would like Government to examine this incident from the angle that of all the news agencies, the Anand Marg which chose to enact this ghastly scene from Dante, chose only this particular news agency, the news agency of the CBS—the Columbia Broadcasting Service. In no other news agency of the country they could confide. This shows that the organisers of this incident had full faith in a foreign agency namely the CBS. They were confident that these agents of the CBS namely Mr. Lal and Miss Patricia, would co-operate in the enactment of the gruesome scene and also they were sure that this organisation of CBS would send the films abroad, and perhaps they have succeeded in doing so also.

Nothing could of more relevance to this incident than the statement of Mr. Lal himself to the correspondent of the *Times of India* which I want to present before you. When she was asked by the correspondent, "Where is the film which was exposed at Purana Qila?", "It must be in Washington by now," she said. She has said that her husband had filmed the self-immolation at Patna also and succeeded in sending that film abroad by giving a wrong Bombay address to the police. What is important is, Mr. Lal added that be had been after this sensational scoop for some days now and was in constant touch with the Anand Margis. "This constant touch with the Anand Margis" and the Columbia Broadcasting Service is significant. I would like the Government to go into all the ramifications of the contacts of such organisations with foreign agencies.

In the end, I would request the Government to be discerning enough to distinguish between those newsmen

[Shri Viswanath Pratap Singh]

who are honestly giving reports and those persons who abet crimes to create news. There is a lot of difference between the *bona fide* newsman who reaches the spot and spontaneously reports the matter, and the person who participates and abets a crime to create news and gives it for publication.

In this context, while the rights of the former *bona fide* reporter or journalist are to be upheld as the sentinels of our democracy, any person should be absolved from his share in the crime just because he wields a camera which has Satan's eye for its lens. Would the Government take steps to see that there is no organisation which tursts no other news agency in the country than those of foreign land and that there is no newsman who has no audience in this country and seeks the same on a foreign soil?

SHRI K. C. PANT: Sir, with regard to the first question as to whether or not it was possible that the person who was burnt had been earlier poisoned or drugged this will naturally come out in the course of the investigation. The only thing that I can tell my hon. friend at this stage is that the viscera has been preserved and will be sent for chemical analysis which will doubtless throw some light on this question.

About the film, the police has seized one film from the possession of Shri Surendra Mohan Lal; the contents of this film roll are not known as the film is yet to be processed. That is the position with regard to the film.

With regard to the distinction drawn by my hon. friend between newsmen who may abet crimes and these who may be *bona fide* newsmen who report the crime but are not parties to the abetment of the crime or to any conspiracy, this distinction is well made.

It would certainly be borne in mind in the proceedings.

SHRI PILOO MODY (Godhra): On a point of order.

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली): काल अटेशन में प्वाइट आफ आर्डर कैसा ?

MR. SPEAKER: We had already a convention not to ask points of order during the call attention and also during the Question Hour.

SHRI PILOO MODY: I am not aware of it; it was not discussed in the Business Advisory Committee.

MR. SPEAKER: Because you want to raise it now, you are not aware of it.

SHRI PILOO MODY: It was not discussed in the Rules Committee. The point I want to make is this. Why has my name not been included when there are only four persons?

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : ए [illegible]इट आफ आर्डर । काल अटेशन में प्वाइट आफ आर्डर [illegible] होता है ?

SHRI PILOO MODY: Please ask these people to shut up.

MR. SPEAKER: If you use this language, I am very sorry. You should have invited my attention. Do not use this language.

SHRI PILOO MODY: I am only asking you, I have not told him. 'Shut up' means to keep quiet and not to disturb the proceedings of the House.

MR SPEAKER: As if you do not do it yourself, sometimes.

SHRI PILOO MODY: Sometimes I am also guilty, as indeed you are also at times; all of us are guilty.. (*Interruptions*). I have got a bad throat; otherwise I would have dealt with him myself.

MR. SPEAKER: I am so happy at your bad throat.'

SHRI PILOO MODY: There are only four persons. I assume that there is some sort of a technical difficulty because this talks about cameramen.

MR. SPEAKER: Notice is only by four persons.

SHRI PILOO MODY: On the same subject about immolation I have also tabled a call attention notice. I do not understand. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: This is not about self-immolation. Shri Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर). अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य गृह राज्य-मंत्री महोदय ने दिया है वह जितना कहता है उससे अधिक अनकहा छोड देता है । यह प्रश्न ससद को और जनता को काफी समय से आन्दोलित कर रहा है । हमारे देश मे ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई कि कुछ व्यक्ति आत्म-दाह करने पर उतारू हो गये ।

एक माननीय सदस्य : कोई नही हुआ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें भी आत्म-दाह का उल्लेख है, आप काल अटेशन की भाषा को देखे

"एक आनन्द मार्गी अवधूत के वलिदान के सम्बन्ध मे "

क्या इस का अर्थ है कि बलिदान का हवाला नही दिया जा सकता ?

एक माननीय सदस्य : बलिदान किया है या । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : पता नही बलिदान है या क्या है ? काल अटेंशन में लिखा हुआ है कि :

"Reported arrest of two foreign TV cameramen at Bombay airport in connection with the immolation of an Anand Margi Avadhoot."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बलिदान नही तो आत्म-दाह कह लीजिये । (**व्यवधान**)

मैं मुद्दे पर आना चाहता हू । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : बलिदान तो मन्त्री का होता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शहीदो का भी बलिदान होता है । यह हिन्दी जानते नही है, यह हिन्दी का बलिदान कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप वक्त का बलिदान मत कीजिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : टोका टोकी हो रही है, मै क्या करू ?

मै जानना चाहता हू कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये है इस आत्म-दाह के मामले मे उन के विरुद्ध आरोप क्या है ? मंत्री महोदय ने कहा है कि पाच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये है, जिन मे एक कमरा-मैन है विदेशी टेलिविजन कम्पनी का और एक उन की सहायिका है । मै जानना चाहता हू कि इन दोनो के खिलाफ निश्चित आरोप क्या है । यह पत्रकार हैं, कैमरा-मैन है किसी भी घटना को कैमरा में बन्द करना, उस का प्रसार करना, उनका दायित्व ही नही है, यह उसका व्यवसाय है । दक्षिण वियटनाम मे जब बौद्ध आत्म-दाह करते है तो सारी मानवता की आत्मा झकझोरी जाती है । यहा यह विवाद हो रहा है कि यह आत्मा-दाह है या नही ? अस्तु, यह पत्रकार किस आरोप मे गिरफ्तार किये गये है मै यह जानना चाहता हूं ।

अगर सरकार को डर है कि यह फिल्म बाहर जायेगी और दुनिया भर में दिखलाई जायगी, तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता

[श्री अटल विहारी बाजपेयी]

हूं कि क्या उसका ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि मनीला से समाचार आया है कि:

"More immolations may be held in India should the authority continue to detain the spiritual leaders of Anand Marg, a spokesman of the India Yogic Society in the Philippines, said to-day."

इस की सम्भावना भी रद्द नहीं की जा सकती है कि आनन्द मार्ग के अनुयायी विदेशों में भी आत्म-दाह करें। अतः प्रश्न केवल समाचार के बाहर जाने का नहीं है। सवाल यह है कि पत्रकार को अपना काम करने की छूट होगी या नहीं? (व्यवधान) इस में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण सिद्धान्त जुड़ा हुआ है। दिल्ली के पत्रकारों के फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने इस सम्बन्ध में अपना विरोध प्रकट किया है। अगर सरकार इस की रोक-थाम करना चाहती है कि फिल्म बाहर न जाय तो मैं समझ सकता हूं और फिल्म इनसे ली जा सकती है, लेकिन उन्हें जेल में किस आरोप में रखा गया है, में यह जानना चाहता हूं।

अवधूत की हत्या कराई गई या उन्होंने आत्म-दाह किया, इसके सम्बन्ध में सदन में कुछ विवाद दिखाई देता है। सी० बी० आई० ने आनन्द मार्ग के विरूद्ध जांच की है और उसके आधार पर कुछ मामले चलाये गये। क्या मंत्री महोदय सी० बी० आई० की रिपोर्ट सदन-पटल पर रखने के लिये तैयार हैं जिस से देश को पता लग सके और जनता को विश्वास में लिया जा सके कि आनन्द मार्गियों के विरुद्ध सचमुच में क्या आरोप हैं।

अभी आप को याद होगा जब आनन्द मार्गियों ने यहां प्रर्दशन किया था तो उन पर लाठी चार्ज हुआ था, टियर गैस छोड़ी गई थी। वह संसद के सामने अपना आवेदन लेकर आ रहे थे तो उनको आने नहीं दिया गया। एक आनन्द-मार्गी श्री रघुनाथ मुझ से मिलने आये थे। वह मुझे यह बताने आये थे कि उन के साथ पुलिस क्या व्यवहार कर रही है। मेरे घर से जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगर मैं चाहता तो विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव ला सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जब आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की इजाजत दे रहे हैं तब उसी में जो कुछ मुझे कहना है मैं कह दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आनन्द मार्ग के विरुद्ध क्या आरोप हैं। पहले पटना में आत्म-दाह की खबर आई और अब दिल्ली में आत्म-दाह की खबर आई है।

क्या यह सच है कि आनन्द मार्गियों का कहना है कि आनन्द मूर्ति जी के साथ जेल में दुर्व्यवहार हो रहा है? क्या यह सच है कि उनके साथ एक अनुयायी था (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am sorry. This is only concerning the arrest of the T.V. man and others and not immolation of Anand Marg Avadhoot. (*Interruptions*)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: इस पर बोलने न देने का क्या मतलब है? क्या इस सदन में बोलने की इजाजत नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य: आप उनकी मदद मत कीजिये।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: मैं क्या कहूंगा यह मुझे तय करना है। इस के लिये आप का आदेश जरूरी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अपराधी की वकालत मत कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अपराधी को भी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने को निर्पराध घोषित करने का अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट को भले ही पैक कर ले अपनी हां में हा मिलाने वाले जजो से, लेकिन देश में लोकतन्त्र खत्म नही हुआ है।

मै जानना चाहता हू कि आनन्दमूर्ति जी के साथ जेल में जो व्यवहार हो रहा है क्या उसकी ओर गृह मन्त्रालय का ध्यान खीचा गया है? क्या यह सच है कि उनके साथ पहले एक अवधून रहता था जो इस बुढापे में उनकी देखभाल करता था और अब उस अवधूत को भी वापस ले लिया गया है? क्या यह सच है कि आत्म-दाह की घटनाऐ दुर्व्यवहार के प्रसग को लेकर हो रही है और क्या मन्त्री महोदय आनन्द 'मार्गियो को बुलाकर उनसे प्रत्यक्ष बात करेगे ?

अगर किसी पर हत्या का आरोप है, तो उस पर मुकदमा चले। इसमें कोई आपत्ति की बात नही है। लेकिन कोई व्यक्ति इस देश मे आत्मदाह के लिए तैयार हो जाय, यह कोई मामूली घटना नही है। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, क्या ये माननीय सदस्य बोलने नही देगे? कल भी इन्होंने ऐसे ही किया था और आज भी कर रहे है। ये मतभेद की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। **(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: I do not approve of these interruptions every time. I do not like it. May I request you not to interrupt him? It is very unfair.

श्री फूलचन्द वर्मा (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, अगर यह माननीय सदस्य इसी तरह बाधा डालते रहे, तो फिर कांग्रेस का भी कोई सदस्य इस सदन में नही बोल सकेगा। यह क्या तरीका है कि ये लोग बार-बार इनट्रप्ट करते है। माननीय सदस्य सवाल पूछ रहे है। उसके बाद मन्त्री महोदय जवाब देंगे। ये लोग क्यो इनट्रप्ट कर रहे है?

अध्यक्ष महोदय : मै देख रहा हूं। यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारो की रक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह टोका-टोकी होती रहे, तो अपने विचारों का तारतम्य के साथ कैसे रखा जा सकता है?

MR. SPEAKER: I am very sorry they are doing it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You need not be sorry; they should be sorry.

अध्यक्ष महोदय : मै उनके लिए कह रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो कैमरा-मैन और पत्रकार गिरफ्तार किये हैं, उन पर कान्स्पीरेसी का आरोप लगाया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मे कहा गया है कि अवधूत को मृतावस्था में पुराने किले में नहीं लाया गया था, बल्कि जलन से वही पर उन की मृत्यु हुई। या तो मन्त्री महोदय कहें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में प्रेस में जो समाचार छपा है, वह गलत है। अगर वह गलत है, तो मैं चाहूंगा कि जहां

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

वह आनन्द मार्ग के बारे में सी० बी० आई० की रिपोर्ट को टेबल पर रखे, वहा पोस्टमार्टम की एक कापी भी टेबल पर रख दें।

अगर कैमरामैन और उनकी सहायिका जो एक विदेशी नागरिक है, किसी कास्पीरेसी मे शामिल नही थे, वे केवल उस घटना को अपने कैमरे मे अकन करने के लिए वहा गए थे, तो उनकी फिल्म को अपने पास रखकर उनको छोडा जा सकता है। यह पत्रकारिता की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित मामला है। क्या मन्त्री महोदय यह नही समझते है कि सारी दुनिया मे इसकी प्रतिक्रिया होगी?

जिन परिस्थितियो मे आनन्दमार्गी आत्म-दाह पर आ रहे हैं, वे परिस्थितिया क्या हैं? क्या दुर्व्यवहार की शिकायत के सम्बन्ध मे भी पता लगाने का प्रयत्न किया है? क्या सरकार यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि उन पर जो आरोप है, उनकी अदालती जाच होगी, लेकिन उनके साथ जेल मे किसी तरह का दुर्व्यवहार नही किया जायगा? आनन्दमूर्ति को जेल मे जहर देने की खबर फैलाई जा रही है, जिससे भावनायें भडक सकती है।

आनन्द मार्ग एक धार्मिक सम्प्रदाय है। आप उससे मतभेद रख सकते हैं। लेकिन आनन्दमूर्ति की जगह अगर कोई मौलवी या पादरी होता और आप उनसे ऐसा दुर्व्यवहार करते, तो मैं देखता। (व्यव-धान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त अध्यक्ष महोदय, श्री वाजपेयी जी ने पहला प्रश्न यह पूछा है कि इस देश मे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ किन सैक्शन्ज के अन्तर्गत केस चल रहा है। वे सैक्सन्ज है 302, 118, 120 (बी) और 34, आई० पी० सी० । ये सब सेक्शन्ज उन पर लगे है।

एक माननीय सदस्य . किस पर?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त सब पर। जैसे जैसे इनवेस्टीगेशन आगे बढेगा, और लोगो पर भी लग सकता है। आखिर मे कौनसा सैक्शन किस पर लगेगा, यह इनवेस्टीगेशन पर निर्भर करेगा।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या पत्रकार को इसलिए पकडा गया कि उसने फिल्म ली और यह डर है कि वह फिल्म बाहर भेज दी जायेगी। श्री वाजपेयी ने बाद मे खुद कहा कि अगर फिल्म को बाहर जाने से रोक दे तो अच्छा है। वह खुद भी इस बात को महसूस करते है कि इस तरह की फिल्म बाहर नही जानी चाहिए। मैं इस बारे मे इससे ज्यादा क्या कहू? लेकिन मैं कहना चाहता हू कि इस केस का वास्ता फिल्म से नही है। इस केस का वास्ता इस बात से है कि अगर कोई कास्पीरेसी मे हो, किसी के सामने जुर्म हो रहा हो, किसी के सामने कोई सुसाइड या मर्डर कर रहा हो, तो क्या ला मे उसकी कोई ड्यूटी होती है या नही। अगर उसकी ड्यूटी होती है और उसने नही की है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। यह मोटी मोटी ला की बात है। मैं कोई कानून जानने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं और श्री वाजपेयी भी ......

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पत्रकारो पर क्या नियम लागू होगा ? अगर कोई अपराध होगा, तो क्या वे पुलिस को रिपोर्ट करने जाएंगे या उनकी फोटो लेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस ममले पर एक्सा-इटमेंट की जरूरत नही है। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जब वे वहा पहुचे हुए थे, तो उनके कुछ फर्ज भी हो सकते है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे फोटो लेने के लिए पहुचे थे , रिपोर्ट करने के लिए नही।

अध्यक्ष महोदय : उनको पता होगा कि यह काम होने वाला है। क्या उनका यह फर्ज था या नही कि उसको रोकना है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पत्रकार की ड्यूटी नही है कि वह पुलिस को इनफार्म करे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त मेरे मित्र ने पूछा था कि पत्रकार जो बोनाफाइडी काम करते है, उसमे और ऐबेटमेंट मे डिस्टिंक्शन करेंगे या नही। मैंने कहा कि उसमे डिस्टिंक्शन होगा ही । लेकिन जहां तक मैं जानता हू, पत्रकार पीनल कोड से बाहर नही है।

जहा तक प्रोसेशन का सवाल है, उसमे कुछ लोगो को गिरफ़्तार किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पीटा गया।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त उसके बारे मे मेरे पास जो सूचना है, वह मैं आपको दे सकता हू। 23 अप्रैल को पौने सात बजे करीब दो हजार आदमी प्रोसेशन मे बोट क्लब लान्ज के पास आये। उनमे से कुछ लोग रफी मार्ग की तरफ बढे। वहा पर पुलिस कार्डन था। कुछ लोग पुलिस कार्डन को तोड कर निकल गये। पीछे जहा दूसरा पुलिस कार्डन था । वे वहा पहुचे । उस स्टेज पर टीयर गैस छोडी गई और दो सौ आदमी गिरफ़्तार किए गए। (व्यवधान) जब वे पुलिस कार्डन के पास गये, तो उन्होने पुलिस आफिसर्ज का एसाल्ट किया उन पर चाकू और बोतले फेंकी और उनके पास जो फ्लैगस्टिक थे, उन को भी पुलिस आफिसर्ज के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।

इस स्थिति को काबू मे लाने के लिए पुलिस ने एक माइल्ड केन-चार्ज किया। आखिर ऐसी परिस्थिति मे पुलिस को क्या करना चाहिए था।

माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि जेल मे आनन्दमूर्ति के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होने पायजनिंग का सवाल भी उठाया है । यह इस से तो यहा उठता नही है लेकिन चूकि उस से गलत फहमी पैदा हो सकती है इसलिए अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं फिर से सदन के सामने कुछ तथ्य रखू। वैसे ये तथ्य पहले सदन के सामने आ चुके हैं राज्य सरकार ने हम को सूचना दी है कि यह जो प्वायजनिंग की बात है उन्होने एक वक्तव्य भी दिया है, पब्लिक नोट इश्यू किया है जिस मे उन्होने इस बात को बिलकुल निराधार बताया है। उस को कांट्रैडिक्ट किया है,

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

यह जो प्रोपेगैन्डा हो रहा है उस के लिए एक प्रेस नोट इश्यू किया है और उस प्रेस नोट में बताया है कि मेडिकल एन्क्वायरीज की गई जिस ने यह मालूम पड़ा है कि

"Allegation of his having been poisoned is quite bageless."

यह सूचना सदन के सामने भी 28 मार्च को रखी गई थी अनस्टार्ड क्वेश्चन न० 5065 के उत्तर में। अगर वाजपेयी जी चाहें तो उस को भी देख सकते हैं। उस में टोटली फाल्स कहा गया है। बस इतना ही अंतर है ।

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की बात उन्होंने कही। यह तो इन्वेस्टीगेशन में आएगा और बाद में वह कोर्ट के सामने आएगा। यह कहना कि इन सब चीजों को कोई छिपा कर सरकार कर रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आनन्द मूर्ति कोर्ट के सामने गए। उन का कमिटल हुआ सेशन को। प्राइमाफेसी केस बनता है इसीलिए कमिटल हुआ है और जिस कोर्ट का इस से संबंध था वह इस फैसले पर पहुंचा कि प्राइमाफेसी केस है। तो इस में अगर वह चाहते हैं कि हम जुडिशियल प्रोसेस में इन्टरफियर करें तो कहें उस बात को साफ तौर से। वरना जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है और चलेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष महोदय, मैं ने कहा था कि सी बी आई ने जांच की थी आनन्द मार्ग के बारे में। उस की कोई रिपोर्ट क्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सी बी आई की रिपोर्ट रखने का प्रश्न ही नहीं है। सारी चीज कोर्ट में चल रही है। सारी चीज सामने आएगी।

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : अध्यक्ष महोदय, यह आनन्द मार्ग ने जो कत्ल किए यह सब योजनाबद्ध और बाकायदा बनाया हुआ षड्यन्त्र था। यह इस से मालूम होता है कि बाकायदा सारा अरेंजमेंट करना, किले से कैमरा मैन और फ्रेंच सिटिजेन को लाना और उस के साथ साथ दो महात्मा सन्यासी आनन्द मार्ग के मौजूद थे, उन को चिन्ता इस बात की ज्यादा है कि उन की तस्वीर आ जाय, फिल्म बन जाय न कि उन को आत्म-दाह से बचाने की चिन्ता उन को है। यह सब हिन्दुस्तान की तस्वीर को काली करने के लिए सी आई ए का योजनाबद्ध षडयन्त्र है। सरकार इस बात मे खुद ढिलाई बरत रही है। इसी तरह इन्होंने पटना में भी किया था और इन आनन्दमार्गी लोगों ने धमकी दी है। इस तरह से झूठे कत्ल करके प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे और राष्ट्रपति के द्वार पर इस तरह की घटना कर के हिन्दुस्तान की जो प्रगतिशील प्रवृत्तियां हैं उस के विपरीत ये जाना चाहते हैं और हिन्दुस्तान की तस्वीर को काली करना चाहते हैं। इस के पीछे सारा अमरीका का हाथ है और मैं यह कहने में बहुत ही निस्संकोच हूं कि आखिर इन के पास इतना रुपया पैसा इतना खर्चा कहां से आया है। इन के अखबार चलते हैं, ये आनन्द मार्गी हवाई जहाज में यात्रा करते हैं और इन की जो सारी करनी है विदेशों के पेपर्स में उस की पब्लिसिटी होती है। क्या सरकार का ध्यान इस तरफ गया और जो लोग हिन्दुस्तान की वफादारी के लिए

चिल्लाते हैं वह आनंन्दमार्गियों को उकसावा देते हैं कि हिन्दुस्तान की तस्वीर को वह काट दे दुनियां के मैप से । मैं कहना चाहता हूं कि आखिर यह कैसी देशभक्ति है । इन लोगों की जो इन की बात करते हैं आनन्दमार्गियों की जो कि हिन्दुस्तान की तस्वीर को धुंधला करना चाहते है दुनिया के सामने ? ये कैमरा मैंन जो है इन्होंने तस्वीर बनाई और उस को तुरन्त विदेश में भेज दिया । यह सब काम चल रहा है देश में । मै सरकार से कहना चाहता हूं कि आनन्दमार्गियो की यह जो सस्था है इम को बैन करना चाहिए और इस में कोई ढिलाई नही करनी चाहिए ।

तीसरी चीज मै यह कहना चाहता हूं कि यह जो आनन्दमार्गियो की ऐक्टिविटीज हैं इन का एक चित्र तैयार कर के पालियामेट के पटल पर रखना चाहिए । इम तरह की सस्थाओ को अगर आप काम करन की इजाजत देगे देश के अदर तो मै कहना चाहता हू कि हमारा हिन्दुस्तान पता नही किन शक्तियो की जकड मे जकड़ जायगा । इस से हिन्दुस्तान की सावरेटी, उस की स्वतत्रता, उस की आजादी को खतरा है और ऐसे काम करने वाले पत्रकार जो उन के चोले में रहते हैं हिन्दुस्तान के अदर वह हिन्दुस्तान का बड़ा अहित कर रहे हैं । मै अखबार वालो की या फिल्म लेने वालो की आजादी मे कोई खलल नही डालना चाहता हू । लेकिन इनकी आजादी के पीछे मैं हिन्दुस्तान की आजादी को बरबाद होते नहीं देखना चाहता । मेरा सरकार से आग्रह है कि इस तरह के देश में एक नही हजारों आदमी हैं जिन के बारे में सरकार बहुत ढिलाई बरतती है । ऐसे अखबार और पत्रकार जो हैं उन पर सरकार को नजर रखनी चाहिए और उन सब का एक चित्र सरकार को अपने सामने रखना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर पेश करना चाहिए ।

ये जो आनन्दमार्गी लोग हैं, इन्होने जो षड़यत्र किया था इस की जानकारी सरकार को पहले से क्यो नही हुई ? ये बराबर चिल्ला रहे थे कि हम इस तरह से अपने को मारने जा रहे है और मारेगे । ये जो आनन्दमार्गी हैं, कत्ल करना, जिन्दा मारना यही इनका धन्धा हैं । तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इन की ऐक्टिविटीज का जो चित्र है वह पालियामेंट की मेज पर रखा जाय । इस आनन्द मार्ग सस्था को बैन किया जाय और आनन्द मूर्ति और दूसरे लोग जो जेल में बन्द है उन पर जल्दी से जल्दी मुकदमा चला कर के उन को सजा दिलाई जाय ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त . अध्यक्ष महोदय, जहां तक आनन्द मार्ग की तस्वीर ससद के सामने रखने की बात है अब तो सारे देश के सामने यह तस्वीर आ रही है और खुले कोर्ट मे यह केस चल रहा है । इस लिए सारी चीजें सामने आएगी और मुझे विश्वास है कि उस से जो माननीय सदस्य चाहते हैं वह काम भी पूरा हो जायगा ।

जहा तक जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रश्न है तो इस में सेशन को कमिटल तो हो चुका । मगर कुछ कानूनी बातें है जिस की वजह से देर हो रही है । एक तो हाई कोर्ट में उन्होने आर्डर क्वैश करने के लिए अपील की है और हाई कोर्ट ने अभी उस का फैसला

[श्री हरी सिंह]

नहीं किया है। जब तक यह फैसला नहीं होता तब तक यह केस आगे नहीं बढ़ सकता। इस वजह से इस में विलम्ब हो रहा है। पटना हाई कोर्ट के सामने एक पेटीशन है जिस की वजह से देर हो रही है।

जहां तक सरकार की ढिलाई का प्रश्न है सरकार ने कोई ढिलाई इस में नहीं की है। यह सही है कि प्रेसीडेंट और प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने इस तरह से लोग जलाए जाएंगे या जलेंगे जो भी है, इस की सूचना पहले से मिली थी और उन स्थानों में और अन्य स्थानों में भी जो आम तौर पर पब्लिक स्थान हैं पुलिस सतर्क थी। निगरानी रखी गई और इस लिए यह जो कांड हुआ है यह ऐसी जगह पर हुआ है जो कि आउट आफ दि वे जगह है।

एक सूनसान जगह पर जा कर यह काम इसीलिए हुआ है कि पुलिस की निगरानी उन जगहों पर थी जिस की सूचना पुलिस को पहले से थी। तो यह कारण है कि जिस से वह बचाया नहीं जा सका। लेकिन जब कांड हो चुका उस के बाद पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम किया और माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि दो जो वहां अवधूत उसी स्थान पर मौजूद थे उन को तो फौरन ही वहीं पकड़ लिया गया। फौरन पकड़ कर ले जाया गया। और दो जो बम्बई भाग गए थे उसी रात के जहाज से, यहां से बम्बई की पुलिस को सूचना दी गई। पहले तो कार के नम्बर को देखते हुए ट्रेस किया गया। ट्रेस के करने के बाद सब चीज मालूम कर के जानकारी बम्बई पुलिस को दी गई। वह जहाज से उतरते हुए पकड़ लिए गए। इसलिए पुलिस ने इतना अच्छा जो काम किया है मैं चाहता हूं कि इस सदन के सामने उस बात को रखूं।

RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND NOTICES UNDER RULE 377

RESIGNATION OF THREE JUDGES OF SUPREME COURT

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received notices of Adjournment Motions regarding the situation arising out of the appointment of the Chief Justice of India. They are from Shri Madhu Dandavate, Shri Shyamnandan Mishra, Shri S. A. Shamim and Shri Madhu Limaye. Practically they are the same. The first one is on "failure of the Government...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर): कल आपने 377 लिया था इसलिए आज हमने 377 में दिया। कल एडजर्नमेंट मोशन दिया था मैंने तो वह नहीं लिया, आज आप एडजर्नमेंट मोशन ले रहे हैं . . .

अध्यक्ष महोदय: आपको जिस बात का डर है, मैं आपका ट्रायल नहीं कराउंगा। मैं आपकी दोनों मुश्किलात समझता हूं अच्छी तरह से।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं अध्यक्ष महोदय, दो दिन दो रवैये अपनाकर आप हमारी दो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।

MR. SPEAKER: The first one, from Shri Madhu Dandavate is on:

"The failure of the Government to prevent the crisis in the judiciary as reflected by the resignation of three Supreme Court Judges and suspension of legal work for a day by thousands of lawyers in places like Bombay and Ahmedabad."